500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००रु.

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

Sale Deed For Rs. 25,000/- Only

केवालादाता :– श्रीमती शारदा देवी, पति श्री दिनेशानन्द झा, जाति ब्राहम्ण, पेशा गृहिणी, साकिन विलासी टाउन देवघर, थाना, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री वो जिला देवघर।

केवालाग्रहिता :– श्रीमती सुमंन सिंह, पति शैलेन्द्र कुमार सिंह, जाति राजपुत, पेशा गृहिणी, साकिन सलेमपुर हाउस नं0 26 पोस्ट डुमाईगढ़, थाना माँझी, जिला सारण (बिहार)।

लेख्यप्रकार :– विक्रयपत्र।

कीमत जायदाद :– मो0 25,000 पच्चीस हजार रूपया मात्र।

Construction Group

क्र 1487

300x2
2100

14.2.06

14.2.06

शारदा देवी
14/2/06

शारदा देवी

177 vol 4 / 06

शारदा देवी
14/2/06

14/02/06

178 vol 4 / 06

Baba Homes & Saurav Construction Group
Shailendra Kumar Singh
Managing Partner

500Rs.

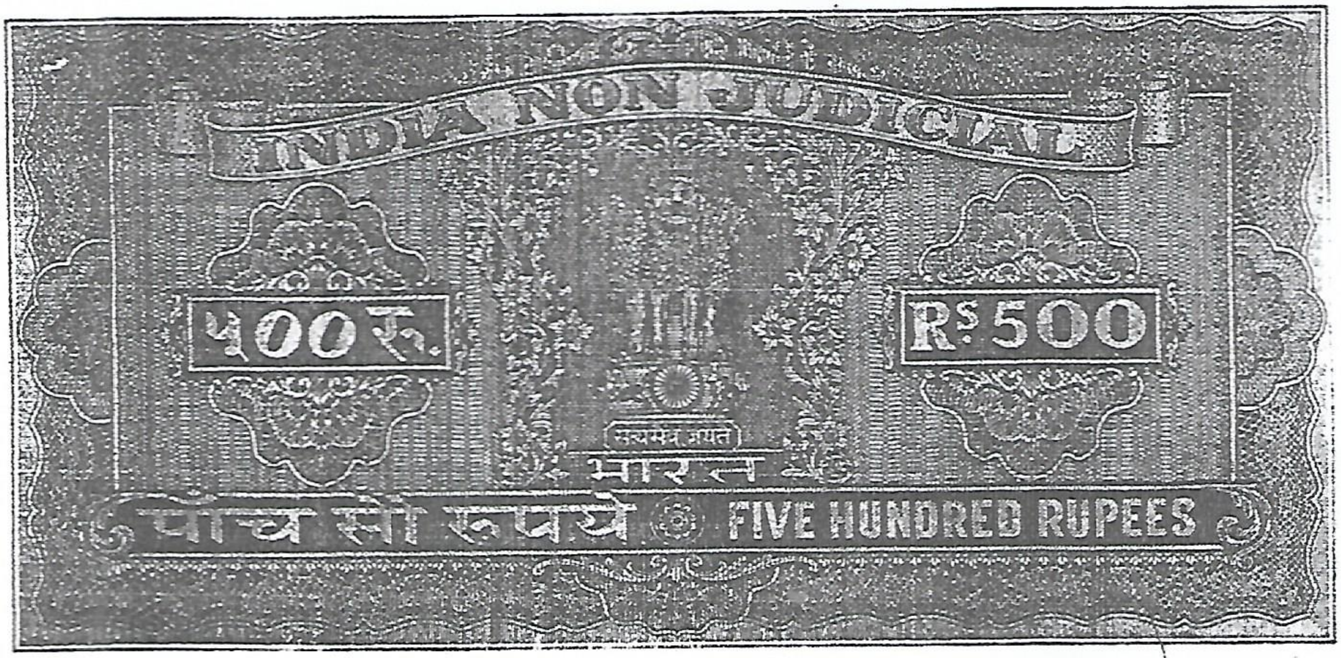

विवरण जायदाद :– थाना नं0 581, जिला, सवडिविजन, सवरजिष्ट्री देवघर, थाना मोहनपुर, सामिल मौजा रामपुर के अन्दर बकास्त सत्व की जमीन सेटलमेंट प्लॉट नं0 485, रकवा **3395 वर्गफीट**, अन्दर जमाबन्दी नं0 62 वमोजीव सामिल शुदा नक्सा में लाल रंग से रंगा हुआ अंश मय कुल हक हकुक बिक्री किया, जिसकी चौहद्दी :–

उत्तर :– श्री रितेश खवाड़े की जमीन,

दक्षिण :– रोड,

पूरब :– प्लॉट नं0 484,

पश्चिम :– 12'–0" फीट चौड़ा प्राइभेट रोड।

विदित हो कि थाना मोहनपुर के अन्दर मौजा रामपुर में कामत वो बकास्त जमीन खेवट नं0 1/3 सेंटलमेन्ट प्लॉट नं0 485 गत् गैंजर सेटलमेंट में जै कुमार चक्रवर्ती, विजय नारायण चक्रवर्ती, सूर्य नारायण चक्रवर्ती व महादेव चक्रवर्ती, पिता स्व0 बनवारी चक्रवर्ती के नाम से दर्ज है।

उपरोक्त पर्चाधारियों के बाद उनलोग के वारीसानों उपरोक्त प्लॉट 485 के अलावे अन्यान्य प्लॉटों के जमीनों को आपस में आपुसी बंटवारा करने पर अन्यान्य प्लॉटों के साथ उपरोक्त प्लॉट नं0 485 रकवा 0–35 डिसमिल जमीन उपरोक्त महादेव चक्रवर्ती के दो पुत्रगण रघुनाथ चक्रवर्ती वो विश्वनाथ चक्रवर्ती के हिस्से में मिली है।

Baba Homes & ... Group

उपरोक्त रघुनाथ चक्रवर्ती वो विश्वनाथ चक्रवर्ती अपने हिस्से की सम्पत्ति पर दखलकार रहते हुए रघुनाथ चक्रवर्ती का स्वर्गवास हो जाने पर उनके हिस्से के उनका एकमात्र पुत्र वो कानूनी उत्तराधिकारी श्री रामेश्वर चक्रवर्ती हकदार और दखलकार हुए और विश्वनाथ चक्रवर्ती के स्वर्गवास कर जाने पर उनके हिस्से के उनका दो लड़के श्री राधानाथ चक्रवर्ती वो जगन्नाथ चक्रवर्ती हकदार और दखलकार हुए।

उपरोक्त रामेश्वर चक्रवर्ती, पिता स्व0 रघुनाथ चक्रवर्ती वो श्री राधा नाथ चक्रवर्ती, पिता स्व0 विश्वनाथ चक्रवर्ती कुल इजमाल सम्पत्तियों का आपस में बंटवारा करने पर अन्यान्य सम्पत्तियों के साथ उपरोक्त प्लॉट नं0 485 रकवा 0–35 डिसमिल एकाएक रामेश्वर चक्रवर्ती के हिस्से में मिली है, जिसपर श्री रामेश्वर चक्रवर्ती अलग रूप में निर्विवाद रूप से स्वेच्छा पूर्वक भोग दखल करते रहे।

उपरोक्त श्री रामेश्वर चक्रवर्ती अपने हिस्से की जमीन प्लॉट नं0 485 रकवा 0–35 पैंतीस डिसमिल पर दखलकार रहते हुए उसे टुकड़ा – टुकड़ा कर बिक्री करने पर उसके अन्दर उपर खाना विवरण जायदाद में वर्णित सम्पत्ति को दिनांक 29.05.2003 ई0 में देवघर निबंधन कार्यालय से निबंधित विक्रयपत्र (पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या ...... पृष्ठ संख्या 182 से 188 में निबंधित जिसकी संख्या 2045 वर्ष 2003 ई0) के द्वारा मैं केवालादातृ खरीद कर आजतक उसपर निर्विवाद रूप से दखलकारीणी हूँ।

14/2/06

अभी मुझ केवालादातृ को नाना प्रकार के जरूरी सांसारिक खर्च के लिए रूपये की अत्यन्त आवश्यकता है, इसलिए उपरोक्त सम्पति को ब्रिकी करने का शोहरत किया और आप केवालाग्रहितृ उपर खाना विवरण जायदाद में वर्णित सम्पत्ति को खरीद करने का इरादा जाहिर करने पर अभी के बाजार दर से और दोनो पक्षों की मंजुरी से उसका कीमत मो0 25,000 पच्चीस हजार रूपया कायम हुआ।

अतएव आज तारीख मैं केवालादातृ आप केवालाग्रहितृ से नगद मो0 25,000 पच्चीस हजार रूपया एक मुस्त पाकर उपर खाना विवरण जायदाद में वर्णित सम्पत्ति को वमोजीव सामिल शुदा नक्सा में लाल रंग से रंगा हुआ अंश आप के पास बिक्री कर दिया और आप के दखल में दे दिया।

अब आप केवालाग्रहितृ मुझ केवालादातृ के सत्व व दखल से सत्ववती व दखलकारीणी होकर मय अपने पुत्र पौत्रादि वारिसान वो स्थलाभिषिक्तगण क्रम से भोग दखल, दान, बिक्री, मौरगेज व नाना प्रकार के वारदेन तथा दाय संयुक्त व हस्तांतरादि करने के अधिकारीणी होकर स्वेच्छा पूर्वक भोग दखल करती रहें इसमें मुझ केवालादातृ मय वारिसान को किसी तरह का उज्र एतराज नही होगा न कोई कर सकेगा अगर कोई करे तो वह सरे अदालत नजायज वो वातिल होगा।

Group

शारदा देवी
14/2/06

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति का मैं केवालादातृ एकमात्र मालकिन और दखलकारीणी हुँ, इसमें कोई दिगर अंशदार या दखलकार नहीं है। वो कवल इसके उक्त सम्पत्ति को किसी के पास किसी तरह का दाय संयुक्त व हस्तांतर नही किया हुँ। बिक्रीत सम्पत्ति ह्र तरह से साफ और पाक है।

इस बिक्री को और भी स्वच्छ करने के लिए अगर भविष्य में मुझ केवालादातृ को कुछ लिखने या करने की जरूरत पड़ने पर उस हालत में मैं केवालादातृ आप के अनुरोध एवं खर्च से वैसा लिखने या करने के लिए तैयार रहुँगी।

उपरोक्त बकास्त जमीन Land Reformes Act के मुताबिक हस्तान्तरण योग्य है, जिसकी पुष्टि पटना हाई कोर्ट के मुकदमा C. W. J. C. 738 में गत् तारीख 7.06.69 के फैसले P. L. J. R. 373 के द्वारा होती है।

एतदर्थ अपने व होश बहाल तबीयत में रहकर बिना किसी के दबाव या बहकाव के कीमत का कुल रूपया नकद एक मुस्त पाकर यह बिक्री खोश केवाला दलील लिख दिया जो समय जरूरी काम आवे इति ता0 :– 14/02/06

Baba Homes & Saurav Construction Group

घोषणा :– बिक्रीत सम्पत्ति देहाती क्षेत्र की है, निर्धारित मूल्य पर स्टाम्प दिया गया है।

गवाहान

14/02/06

14/02/06

14/02/06

सुमन सिंह

14-2-06

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका फोटो दस्तावेज में लगा है, के बाये हाथ की अंगुलियों के निशान मेरे सामने लिए गए हैं।

PLAN OF LAND UNDER MOUZA ÷ RAMPUR
NO ÷ 581, P.S. MOHANPUR, DIST ÷ DEOGHAR
J.B. NO ÷ 62, PART OF PLOT NO ÷ 485
AREA ÷ 3395 Sqft SHOWN IN RED COLOUR.
BELONGS TO Smt SHARDA DEVI W/O SRI
DINESHA NAND JHA & NOW SOLD TO Smt
SUMAN SINGH W/O SHAILENDRA KUMAR
SINGH OF SALEMPUR SARAN BIHAR.

N
S

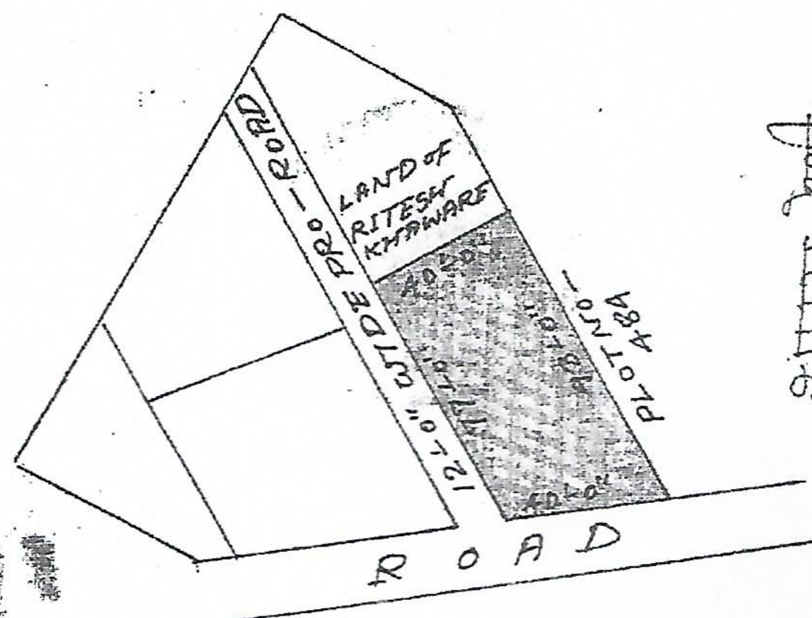

14/12/06

3395
2580
2580
8554.0

Traced BY
R.L. Rawat
10/-
9/12/06